



मैनुअल - 17

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत जन साधारणों को सुविधायें :-

- 1:- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत 17 मैनुअल की तैयार हस्तपुस्तिका का अवलोकन किसी भी कार्यदिवस में प्रातः10.00बजे से सांय 5.00 बजे तक सूचना का अधिकार के काउण्टर से सम्पर्क एवं अवलोकन कर किसी भी अभिलेख की जानकारी/प्रति प्राप्त की जा सकती है ।
- 2:- विकास प्राधिकरण कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सूचना का अधिकार कार्यालय खोला गया है ।
- 3:- जन साधारण को जानकारी हेतु कार्यालय में सूचना पट्ट लगाया है ।
- 4:- प्राधिकरण द्वारा निम्न प्रकार से विभिन्न अधिकारियों को अपने-अपने विभाग से सम्बन्धित कार्य हेतु लोक सूचना अधिकारी नामित किया गया है ।
- 5:- सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पर निर्धारित आवेदन शुल्क रू0 10/- की प्राप्ति रसीद मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के निर्धारित प्रारूप पर जारी की जाती है ।
- 6:- आवेदक द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत मांगे गये अभिलेख दो रूपये प्रति पृष्ठ तथा प्राधिकरण के बाईलाज,मास्टर प्लान,नियमावली,मानचित्र की प्रति आदि अभिलेख निर्धारित शुल्क पर उपलब्ध कराई जाती है ।
- 7:- प्राधिकरण द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी सचिव ,मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को नामित किया गया है ।
- 8:- प्राधिकरण द्वारा अपनी वेबसाईट के माध्यम से निम्न सूचनायें उपलब्ध करायी जा रही हैं:-

- ए- विगत वर्षों में स्वीकृत किये गये आवासीय/व्यवसायिक मानचित्रों का विवरण ।
- बी- देहरादून महायोजना 2005-2025
- सी- पूर्व, वर्तमान एवं भविष्य की योजनाओं का विवरण ।
- डी- समय-समय पर निर्गत की जाने वाली निविदाओं की सूचना ।
- ई- प्राधिकरण में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों का विवरण ।
- एफ- देहरादून स्थित बारात घर/वेडिंग प्वाइन्ट के सम्बन्ध में सूचना ।
- जी- पंजीकृत मानचित्रकार/लाईसेन्सी सुपरवाइजर्स की सूची ।
- एच- प्राधिकरण द्वारा कराये जा रहे/कराये गये विकास कार्यो की सूची ।
- आई- प्राधिकरण द्वारा कराये जा रहे/गये आर्बोरीकल्चर के कार्यो का विवरण ।
- जे- प्राधिकरण बोर्ड बैठकों की कार्यवाही का विवरण ।